न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—398/2015/225 (2015/00398)

1. श्योजीराम पुत्र रामकरण, जाति जाट, नि0 मगरी, तह0 व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मगनी देवी पत्नि छोगा,
2. शिवनारायण दत्तक पुत्र छोगा,
3. रघुवीर पुत्र स्व0 हरचंद पुत्र मिश्री,
4. रामधन पुत्र स्व0 हरचंद,
5. सीमा पुत्री स्व0 हरचंद,
6. शारदा पुत्री स्व0 हरचंद,
7. छोटी पत्नि स्व0 हरचंद,
8. हरजू पत्नि जगदीश,
9. अमरचंद पुत्र हेमा,
10. चतुर्भुज पुत्र हेमा
11. रणजी पुत्र हेमा,
    समस्त जाति जाट, नि0 मगरी, तहसील व जिला अजमेर ।
12. हरिराम पुत्र मोहन,
13. सीताराम पुत्र मोहन,
14. लक्ष्मण पुत्र मोहन,
    जाति जाट, नि0 मगरी, तह0 व जिला अजमेर ।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 7.5.2015 अंतर्गत प्रकरण संख्या 3/2014.

उपस्थितः—

1. श्री डूंगरसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 3 से 7.
3. रेस्पो0 संख्या 1, 2 एवं 8 से 14 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 15.

निर्णय

दिनांकः— 23.9.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 7.5. 2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 11 ने अधी0न्याया0 के समक्ष धारा 251—ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत प्रार्थना पत्र अपीलांट एवं शेष रेस्पो0 संख्या 12 से 15 के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 11 की

सहखातेदारी की आराजी ग्राम अरड़का में स्थित है जिसका आधार जमाबंदी संवत् 2069 से 2072 के खाता संख्या 382 खसरा नंबर 1294 रकबा 0.23 है0 व खसरा नंबर 1295 रकबा 0.20 है0 है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 11 ग्राम मगरी के निवासी है जो अपनी उक्त सह खातेदारी की आराजियात पर ग्राम मगरी से अरड़का जाने वाली पक्की सड़क से होकर खसरा नंबर 1282, 1283, 1290, 1291 जो अप्रार्थी/अपीलांट की खातेदारी भूमि है तथा खसरा नंबर 1286, 1287 गैर मुमकिन रास्ता तथा खसरा नंबर 1289 चाही–3 है, उक्त खसरा नंबरान की उत्तरी–पूर्वी मेड के पास–पास होते हुए खसरा नंबर 1294 व 1295 जो प्रार्थीगण की भूमि है में आने जाने का रास्ता अपने पूर्वजों के समय से उपयोग व उपभोग में लेते चले आ रहे है किन्तु अप्रार्थी/अपीलांट एवं प्रफोर्मा रेस्पो0 उक्त रास्ते को उपयोग में लेने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 11 की खातेदारी की भूमि पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है । ऐसी स्थिति4 में राज0काश्त0अधि0 की धारा 251–ए के तहत उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान में से 20 फीट चौड़ा रास्ता उद्घोषित किया जावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 7.5.2015 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 11 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से 20 फीट रास्ता प्रदान करने के आदेश पारित किये । अधी0न्यायालय के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 का आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट को अधी0न्याया0 से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ । अधी0न्याया0 ने अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा में बिना अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के प्रावधानों को बिना पढ़ व समझे आदेश पारित किया है । धारा 251–ए के तहत यदि खातेदार के पास कोई भी वैकल्पिक मार्ग अपनी जोत पर जाने के लिए नहीं हो तो ही रास्ता दिया जा सकता है यदि जोत पर जाने के लिए रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता सुविधा की पूर्ति के लिये नही दिया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 10.4.2015 ममें यह स्पष्ट अंकित है कि ग्राम अरड़का से होशियारा जाने वाली सड़क से एक रिकार्डेड कच्चा रास्ता जिसमें खसरा नंबर 1304, 1305, 1319 व 1320 है जो रेस्पो0 की भूमि खसरा नंबर 1295 तक जाता है । उक्त मौका रिपोर्ट से पूर्णतया स्पष्ट है कि रेस्पो0 के खेत खसरा नंबर 1294 व 1295 तक रिकार्डेड रास्ता है इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने मौका रिपोर्ट व राजस्व रिकार्ड को बिना देखे मनमर्जी से नया रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलांट के ग्राम अरड़का के खेत खसरा नंबर 1282, 1283, 1285, 1290, 1292, 1293 के उत्तरी तरफ ग्राम मगरी के खेत खसरा नंबर 573, 574, 578, 580 आवेदकगण की स्वंय की खातेदारी भूमि है जिसमे से होकर वह आगे जा सकते है जब स्वंय की खातेदारी भूमि विद्यमान है तो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से दूसरे रास्ते की मांग करने का उन्हें कोई

अधिकार नहीं है । अपीलांट की खातेदारी भूमि की उत्तरी सीमा पर कोई रास्ता पूर्व में या आज है बल्कि अपीलांट की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1282 व 1283 में पुख्ता मकानात बने होकर अपीलांट परिवार सहित निवास कर रहा है । उक्त मौका स्थिति की मौके पर पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच किये मौका पेश की गई है । रेस्पो0 ने अपीलांट को हानि पहुंचाने की नियत से राजस्व रिकार्ड में रास्ता होने के बावजूत तथा स्वंय की खातेदारी भूमि होने के बावजूद अपीलांट की आराजी मे से रास्ता चाहा है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे । अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 649 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.5.2015 की जानकारी पूर्व में कभी नहीं रही । प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी राजस्व अधिकारी, अजमेर के न्यायालय से प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 1 2 से 14 द्वारा प्रस्तुत अपील में जारी नोटिस से हुई जिस पर प्रार्थी अजमेर आया एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के न्यायालय मेमं प्रकरण की जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 7.5.2015 को एकपक्षीय आदेश पारित हुआ है । तत्पश्चात् प्रार्थी ने आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया एवं प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने जवाब बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । रेस्पो0 संख्या 1 से 11 की सहखातेदारी की आराजी 1294 व 1295 है । प्रार्थीगण/रेस्पो0 की उक्त आराजियात पर ग्राम मंगरी से अरड़का जाने वाली पक्की सड़क से होकर खसरा संख्या 1282, 1283, 1290, 1291, 1286, 1287 जो अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 संख्या 12 से 14 की आराजियात है, की उत्तरी मेड के पास पास होते हुए अपने पूर्वजों के समय से आवागमन करते आ रहे है। इस रास्ते के अतिरिक्त रेस्पो0 की आराजियात में आवागमन का कोई अन्य रास्ता विद्यमान नहीं है । अधी0न्याया0 ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका रिपोर्ट तलब की है तथा मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत काश्तकार की आराजी में आवागमन का रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रास्ता दिये जाने के प्रावधान है । अधी0न्याया0 ने उक्त प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलांटस ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0 न्यायालय की पत्रावली से जाहिर है कि उनके समक्ष मूल आवेदन धारा 251–ए दिनांक 1.7.2014 को पेश होने पर उसी रोज अधी0 न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये जाने पर अपीलांट/अप्रार्थी की तामील हेतु

नोटिस दिनांक 1.7.2014 को अग्रिम पेशी दिनांक 25.7.2014 के लिये जारी किये गये थे । उक्त नोटिस की पुस्त पर अंकित तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट से जाहिर है कि बार–बार अपीलांट के घर पर जाने पर अपीलांट के घर पर नहीं मिलने से नोटिस की प्रति बैरूबरू गवाहान चस्पा करवाते हुए तामील कराई गई है । जबकि अधी0न्याया0 द्वारा चस्पानगी से तामील कराये जाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था इसलिय तामील प्रथम दृष्टया ही गलत साबित होती है । यह भी स्पष्ट है कि नोटिस की पुस्त पर अंकित दो गवाहान के नाम, पते, जाति रिहायश आदि अंकित नहीं करते हुए सरसरी तरीके से तामील की कार्यवाही की संपादित की गई है इस कारण उक्त तामील को पर्याप्त एवं उचित तामील नहीं माना जा सकता है । प्रकरण में अधी0न्याया0 द्वारा तामील की प्रक्रिया नियमानुसार संपादित नहीं किये जाने से अपीलांट के नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय का हनन हुआ है एवं वह साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाबदेही के अवसर तथा प्रतिरक्षा के विधिक अधिकारों से वंचित हुआ है इसलिये अधी0न्याया0 द्वारा पारित एकतरफा निर्णय नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के उल्लघंन में पारित होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 की आदेशिका के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि नोटिस पेश होने व जारी होने का भी अंकन नहीं है ओर न ही तामील बाबत् कोई आदेशिका अंकित की गई है तथा न ही नियमानुसार अप्रार्थी/अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये है । हस्तगत प्रकरण में अधी0न्याया0 में अपीलांट/अप्रार्थी पर अनियमित एवं अवैधानिक तरीके से बिना चस्पानगी के आदेश के तामील कुनिन्दा द्वारा चस्पानगी से करवाई गई तामील को उचित मानकर अंतिम निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की है । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है एवं प्रकरण अपीलांट/अप्रार्थी की सुनवाई हेतु अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.5.2015 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 1 को साक्ष्य, सुनवाई एवं जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर नियमानुसार तीन माह में निर्णित करे । उभयपक्ष दिनांक को अधी0न्याया0 में उपस्थित हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक23.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर